तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पर आमादा है। पत्थरगढ़ी में सीमा विवाद हो, सीमा चिन्ह नहीं हो तो आवेदन होता है यहां मौके पर सीमा चिन्ह व तारबन्दी व पेड़ है। पुराने पेड़ो का मौका कमि० रिपोर्ट मे भी उल्लेख है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस दलील दी कि ख०नं० 79 की उत्तरी सीमा पर ख०नं० 77, 78 स्थित है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी विधिक प्रक्रिया से आदेशित हुआ है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रार्थीगण व सह-खातेदारान द्वारा निगरानी-अपील मय स्थगन प्रस्तुत किया जो खारिज फरमायी जा चुकी है। मौके पर कोई सीमा चिन्ह व पेड़ उखाड़े नही है। मौका कमिश्नर में तारबन्दी पशुओं की रखवाली हेतु किया गया है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पत्थरगढ़ी आदेश को रोकना चाहते है। हम हमारी खातेदारी पर विधिक प्रक्रीया से कार्यवाही चाहते है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से पाया कि मौका स्थल पर पेड़ आदी खड़े है लेकिन किसी तरह के सीमा चिन्ह नही है, न ही किसी तरह की वास्तविक सीमा/पत्थरगढ़ी की हुई है। चूंकि पूर्व में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्यगढी का आदेश किया गया है। यह आदेश एक विधिवत प्रक्रीया अपनाते हुए किया गया जिससे प्रत्यीगण / अप्रत्यीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होनी है। अतः प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का पत्यगढी का आदेश की पालना हेतु न्यायालय द्वारा दिया पारित स्थगन आदेश को खारिज फरमाया जाता है। कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/19

(महीपाल सिंह) RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner